



# प्रेस नोट रामचन्द्र मिशन



## जनपद शाहजहाँपुर

**सराहनीय कार्य दिनांक - 30.04.26**

### **थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित 03 शातिर अभियुक्तगण व 01 बाल अपचारी को चोरी की गई 01 अदद स्विफ्ट कार के साथ किया गया गिरफ्तार ।**

पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर महोदय, श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रामचन्द्र मिशन के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं अपराध में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

#### **संक्षिप्त विवरण:-**

थाना रामचन्द्र मिशन पर वादी मुकदमा श्री निखिल गुप्ता पुत्र प्रदीप गुप्ता निवासी मोहल्ला रेती थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना रामचन्द्र मिशन पर दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 85/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के दौरान दिनांक 30.04.26 को **समय करीब 10.20** बजे अभियुक्त 1. **राजा पुत्र बबलू** निवासी मो0 अहमदपुर रेती थाना रामचन्द्र मिशन जिला शाहजंहापुर उम्र करीब 20 वर्ष को मस्कन से व **समय करीब 10.30** बजे अभियुक्त 2. **विशाल पुत्र बबलू** निवासी मो0 अहमदपुर रेती थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजंहापुर उम्र करीब 20 वर्ष को मस्कन से व **समय करीब 10.40 बजे** अभियुक्त 3. **रितिक जोशी पुत्र नन्हे जोशी** निवासी मो0 अहमदपुर रेती थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजंहापुर उम्र करीब 19 वर्ष को मस्कन से 4. बाल अपचारी को दिनांक 29.04.26 **समय करीब 22.30 बजे** मस्कन से नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया, गिरफ्तार अभियुक्तों/बाल अपचारी से पूछताछ एवं उनकी निशानदेही पर चोरी की गयी एक मोटरसाइकिल बरामद की गयी । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है । गिरफ्तार तीनों बालिग अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। नाबालिग (बाल अपचारी) के संबंध में विधिक प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करते हुए उसे संरक्षण में लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1. रितिक जोशी पुत्र नन्हे जोशी निवासी मो0 अहमदपुर रेती थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजंहापुर उम्र करीब 19 वर्ष
2. विशाल पुत्र बबलू निवासी मो0 अहमदपुर रेती थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजंहापुर उम्र करीब 20 वर्ष
3. राजा पुत्र बबलू निवासी मो0 अहमदपुर रेती थाना रामचन्द्र मिशन जिला शाहजंहापुर उम्र करीब 20 वर्ष
4. बाल अपचारी

#### **पंजीकृत अभियोग:-**

मु0अ0सं0 85/2026 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर ।

#### **गिरफ्तारी का दिनांक,समय व स्थान का विवरण:-**

दिनांक 30.04.2026 को की गई गिरफ्तारी का क्रम निम्न प्रकार है—

1. समय करीब 10:20 बजे अभियुक्त राजा पुत्र बबलू निवासी मोहल्ला अहमदपुर रेती, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 20 वर्ष को उसके मकान से गिरफ्तार किया गया।
2. समय करीब 10:30 बजे अभियुक्त विशाल पुत्र बबलू निवासी उपरोक्त, उम्र करीब 20 वर्ष को उसके मकान से गिरफ्तार किया गया।
3. समय करीब 10:40 बजे अभियुक्त रितिक जोशी पुत्र नन्हे जोशी निवासी उपरोक्त, उम्र करीब 19 वर्ष को उसके मकान से गिरफ्तार किया गया।
4. एक बाल अपचारी को दिनांक 29.04.2026 को समय करीब 22:30 बजे उसके मकान से नियमानुसार अभिरक्षा में लिया गया, जिसकी पहचान गोपनीय रखी गई है।

### **बरामदगी का विवरण:-**

1. एक अदद स्विफ्ट कार।

### **गिरफ्तार पूछताछ:-**

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 23.04.2026 की रात्रि में अभियुक्तगण द्वारा आपस में मिलकर वाहन चोरी करने की योजना बनाई गई। योजना के अनुसार रात्रि करीब 12:00 बजे अभियुक्त राजा एवं रितिक, अभियुक्त विशाल के घर के पास पहुंचे, जहाँ से वाहन खोलने हेतु चाबी एवं आवश्यक सामग्री प्राप्त की गई। इसके पश्चात अभियुक्तगण आशुतोष के वाशिंग सेंटर के पास एकत्र होकर योजना को अंतिम रूप देते हुए रात्रि करीब 03:00 बजे मौके पर पहुंचे और चाबी की सहायता से लाल रंग की स्विफ्ट कार (वाहन संख्या UP 27 BA 6566) का दरवाजा खोलकर बैटरी के तार हटाए तथा वाहन को धक्का देकर आगे ले गए। कुछ दूरी पर ले जाकर बैटरी पुनः जोड़कर वाहन स्टार्ट किया गया, किन्तु छोटी मस्जिद के पास वाहन खम्भे से टकरा गया। इसके बावजूद वाहन को पुनः चालू कर आगे बढ़ाया गया, परन्तु हरदोई चौराहे से पहले वाहन पुनः खराब होकर बंद हो गया। काफी प्रयास के बाद भी वाहन चालू न होने पर अभियुक्तगण वाहन को वहीं छोड़कर पकड़े जाने के भय से मौके से फरार हो गए। अगले दिन अभियुक्तगण पुनः मौके पर जाकर वाहन की स्थिति देखे, जो वहीं खड़ा मिला, जिसके बाद उन्होंने कुछ समय तक मामला शांत होने की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया गया कि वे उक्त स्थान की निशानदेही कर चोरी किए गए वाहन की बरामदगी करा सकते हैं। उपरोक्त के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

1. अपराध निरीक्षक श्री अमित कुमार, थाना रामचन्द्र मिशन, शाहजहाँपुर।
2. उ0नि श्री प्रवीण कुमार थाना रामचन्द्र मिशन, शाहजहाँपुर।
3. का0 पवन कुमार थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर।